

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)  
पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला (R.A.S.)

दावा संख्या 68/2013 रजू दिनांक 19.03.2013 उन्वान निर्णय दिनांक 28.04.2017

- 1 मूलचन्द
  - 2 मोहनलाल पुत्रान कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी गांधीनगर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)
- :- वादीगण

बनाम

- 1 नत्थू पुत्र परसा (अज्ञात)
  - 2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर, जिला अलवर (राज०)
- :- प्रतिवादीगण

1. मनीषा
  2. जागृति पुत्री ताराचन्द
  3. सुमित्रा देवी बेवा ताराचन्द जाति अहीर निवासी गांधीनगर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
- :- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा:- इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरुस्ती  
अ०घा० 88, 89 राज० काश्तकारी अधि०

:- पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 28.04.2017

वादी की ओर से एडवोकेट रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.04.2017 को अशोक कुमार सांखला उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

"न्यायालय वादीगण के वाद को बहक वादीगण एवं तर० प्रतिवादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण असल डिक्री इश्तरकारहक मय दुरुस्ती इन्द्राजात इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि, हाल आराजी खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.83 है० , 1359 रकबा 0.43 है० वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 नत्थू पुत्र परसा के नाम को हजफ किया जाकर उक्त 1/2 भाग में वादी संख्या 1 व 2 को 2/3 भाग के सम्भाग में एवं तर० प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को सम्भाग में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुरूप हाल रिकार्ड में अंकन किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार सांखला)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर (अलवर) मुण्डावर